

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 130/2023

विनोद कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी आमदा रकबा गुमजाल कालियॉ तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-वादी-

**बनाम**

- |  |  |
|--|--|
| 1. सुभाषचन्द्र }<br>2. आत्माराम }<br>3. पन्नालाल }<br>4. बादु देवी पत्नी बनवारीलाल }<br>5. कृष्णारानी पुत्री बनवारी पत्नी ओम विष्णु जाति बिश्नोई निवासी हरिपुर खुईया सरवर तहसील व जिला फिरोजपुर पंजाब।<br>6. मन्जु देवी पुत्री बनवारी पत्नी बलराम जाति बिश्नोई निवासी श्यामसिंहवाला उधोग विभाग श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>7. मोहिनी देवी पत्नी विष्णु कुमार पुत्री सरला पुत्री बनवारी जाति बिश्नोई निवासी चक 13 पीबी सियासर चोगान तहसील व जिला बीकानेर।<br>8. रीना पुत्री सरला पुत्री बनवारी पत्नी प्रशांत कुमार जाति बिश्नोई साकिन चुन्नी वाली ढाणी, 15 बी.एन. डब्ल्यू. श्यामसिंहवाला, उधोग विहार श्रीगंगानगर।<br>9. मोनिका कुमारी पुत्री सरला पुत्री बनवारी पत्नी रामचन्द्र जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 15 रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।<br>10. नीतु बाई पुत्री सरला पुत्री बनवारी पत्नी सुशील कुमार जाति बिश्नोई साकिन 58 एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>11. अरुण कुमार } पि. सरला पुत्री बनवारी जाति बिश्नोई<br>12. योगेश कुमार } साकिन 12 के.एन.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।<br>13. सुधीर कुमार पुत्र मनफूल पुत्र जीया जाति बिश्नोई साकिन आमदा रकबा गुमजाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>14. दर्शना पुत्री मनफूल पत्नी भूप सिंह पुत्र जीया जाति बिश्नोई साकिन सदेल्पुर हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा।<br>15. शान्ति उर्फ सन्तोष रानी पत्नी सुभाषचन्द्र पुत्री मनफूल जाति बिश्नोई साकिन 1 पी.टी.पी. संतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।<br>16. रानी देवी उर्फ माया पुत्री मनफूल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन 13 डीओएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>17. राधा पत्नी सत्यदेव पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई साकिन आमदा रकबा गुमजाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>18. नमन पि.मु. सत्यदेव जरिये कुदरति वली माता राधा पत्नी सत्यदेव पुत्र मनफूल जाति बिश्नोई साकिन आमदा रकबा गुमजाल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।<br>19. सीमा } पुत्रियां मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी देवी पुत्री जीयाराम उर्फ जीया<br>20. कृष्णा } जाति बिश्नोई साकिन नाडोडी तहसील व जिला फतेहाबाद।<br>21. हंसा देवी पत्नी अमर सिंह पुत्र मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी देवी पुत्री जीयाराम उर्फ जीया जाति बिश्नोई साकिन नाडोडी तह. जि फतेहाबाद हरियाणा।<br>22. पवन कुमार }<br>23. शारदा } पिसरान अमर सिंह } पुत्र मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी देवी<br>24. राममूर्ति } पुत्री जीया उर्फ जीयाराम जाति बिश्नोई<br>25. धोली } निवासी नाडोडी<br>26. माया } तहसील व जिला<br>27. अंजु } फतेहाबाद हरियाणा<br>28. रानी देवी }<br>29. रोशनी पत्नी रामेश्वर }<br>30. सुभाष } पिसरान रामेश्वर }<br>31. हरीसिंह } |  |
|--|--|



सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

**दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.**

दिनांक :- 30-12-24

वादी की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 13 ता 31 की ओर से श्री गोखर आहुजा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शास्त्रि होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मृतक जीया की कृषि भूमि के वादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष प्रतिवादी सं. 1 ता 31 विधिक वारीसान है व विधिक वारीसान होने के नाते मृतक जीया के नाम वर्णित कृषि भूमि प्राप्त करने के अधिकारी है इस लिए वाद वादी स्वीकर किया जाकर निम्नअनुसार घोषणा की जाती है—

वाके तहसील पीलीबंगा के चक 15 एलजीडब्ल्यु-ए के वर्तमान खाता सं. 55/29 के प.न. 10/296 (8) किला नं. 5/1, प.न. 11/295 (5) किला नं. 22 से 25, प.न. 11/296 (9) किला नं. 1 से 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 की कुल 7.5270 हैक नहरी मय गै.मु. रास्ता भुमि में मृतक जीया का 607/7527 हिस्सा में मृतक जीया के वारीसान वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 13 ता 18 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 19 ता 31 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-12-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा